

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या- 01,मैनपुरी।

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक:- 09. 05. 2026

आज चालान राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुआ। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

यह चालान दिनांक 31. 12. 2021 से पूर्व का है। अतः उ० प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश 2023 तथा माननीय उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या- 1 651/ एस० एल० एस० ए०- 127/ 2021(ऋ/ सरन) दिनांकित 19 मई 2023 के आलोक में उ० प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा 9 के तहत सूची में वर्णित क्रम संख्या 01 लगायत 1130 तक चालानों की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

चालान नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।



(गरिमा सिंह- III)

दिनांक:- 09. 05. 2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट संख्या- 01,मैनपुरी